

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 1457] No. 1457] नई दिल्ली, सोमवार, जून 24, 2013/ज्येष्ठ 3, 1935

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 24, 2013/JYAISTHA 3, 1935

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जून, 2013

का. आ. 1840(अ).—यतः मै० रेडीयन्ट कॉर्पोरेशन प्राईवेट लिमिटेड, जो आंध्र प्रदेश राज्य में एक निजी संगठन है, ने विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) (जिसे एतद्पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत गांव मुपीरेड्डीपल्ली, तोपरन मंडल, जिला मेडक, आंध्र प्रदेश में इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हेतु क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु प्रस्ताव किया है;

और यतः केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा की उप—धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य संबंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है और उसने उपर्युक्त विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन के विकास, प्रचालन एवं रखरखाव हेतु उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप—धारा (10) के अंतर्गत दिनांक 5 जनवरी, 2012 को अनुमोदन पत्र प्रदान कर दिया है;

अतः अब विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप—धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित सर्वेक्षण संख्या और क्षेत्र को उपयुक्त स्थान पर एक विशेष आर्थिक जोन के रूप अधिसूचित करती हैं, अर्थात् :—

तालिका

क्र. सं.	ग्राम का नाम	सर्वेक्षण संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4
	मुपीरेड्डीपल्ली	342	10.223
		कुल	10.223

2797 GI/2013 (1)

और यतः विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 13 की उप—धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 14 के प्रयोजनार्थ उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन के लिए एक समिति, जिसे अनुमोदन समिति कहा जाएगा, गठित करती है, जिसके अध्यक्ष और सदस्य निम्नानुसार हैं, अर्थातः—

1.	विशेष आर्थिक जोन का विकास आयुक्त	अध्यक्ष, पदेन
2.	निदेशक अथवा उप–सचिव, भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य	सदस्य, पदेन
	विभाग या उसका नामिती जिसका स्तर अवर सचिव, भारत सरकार से कम नहीं होगा	
3.	विशेष आर्थिक जोन पर भू–भागीय क्षेत्राधिकार रखने वाला क्षेत्रीय संयुक्त विदेश	सदस्य, पदेन
	व्यापार महानिदेशक	
4.	विशेष आर्थिक जोन पर भू–भागीय क्षेत्राधिकार रखने वाले सीमाशुल्क आयुक्त या	सदस्य, पदेन
	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त अथवा उनका नामिती जिसका स्तर संयुक्त आयुक्त से	
	कम नहीं होगा	
5.	विशेष आर्थिक जोन पर भू–भागीय क्षेत्राधिकार रखने वाले आयकर आयुक्त अथवा	सदस्य, पदेन
	उसका नामिती जिसका स्तर संयुक्त आयुक्त से कम नहीं होगा	
6.	निदेशक (बैंकिंग), वित्त मंत्रालय, बैंकिंग प्रभाग, भारत सरकार	सदस्य, पदेन
7.	आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले दो अधिकारी जिनका स्तर संयुक्त	सदस्य, पदेन
	सचिव से कम नहीं होगा	
8.	मै० रेडीयन्ट कॉर्पोरेशन प्राईवेट लिमिटेड (जोन के विकासकर्ता) का प्रतिनिधि	विशेष आमंत्रिती

और यतः विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 53 की उप—धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा दिनांक 20 जून 2013 को उस तारीख के रूप में निर्धारित करती है जिस तारीख से उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन को सीमा—शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 के अंतर्गत अंतर्देशीय कंटेनर डिपो माना जाएगा।

[फा. सं. एफ. 1/11/2011-एसईजेड]

राजीव अरोड़ा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th June, 2013

S. O. 1840(E).—WHEREAS, M/s. Radiant Corporation Private Limited has proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act), to set up a sector specific Special Economic Zone for Electronic Hardware and Software and related activities at Muppireddypally Village, Toopran Mandal, Medak District in the State of Andhra Pradesh;

AND, WHEREAS, the Central Government is satisfied that requirements under sub-section (8) of section 3 of the said Act, and other related requirements are fulfilled and it has granted letter of approval under sub-section (10) of section 3 of the said Act for development, operation and maintenance of the above sector specific Special Economic Zone on 5th January, 2012;

NOW, THEREFORE, the Central Government, in exercise of the powers conferred by subsection (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, hereby notifies the following area at above location with survey numbers given below in the table, as a Special Economic Zone, namely:-

TABLE

Serial	Village	Survey Number	Area
No.			(in hectares)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Muppireddypally	342	10.223
		TOTAL	10.223 hectares

AND, THEREFORE, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), hereby constitutes a Committee to be called the Approval Committee for the above Special Economic Zone for the purposes of section 14 of the said Act consisting of the following Chairperson and Members, namely:-

1.	Development Commissioner of the Special Economic Zone	Chairperson
		ex officio;
2.	Director or Deputy Secretary to the Government of India,	Member ex officio;
	Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce or	
	his nominee not below the rank of Under Secretary to the	
	Government of India	
3.	Zonal Joint Director General of Foreign Trade having territorial	Member ex officio;
	jurisdiction over the Special Economic Zone	
4.	Commissioner of Customs or Central Excise having territorial	Member ex officio;
	jurisdiction over the Special Economic Zone or his nominee not	
	below the rank of Joint Commissioner	
5.	Commissioner of Income Tax having territorial jurisdiction over	Member ex officio;
	the Special Economic Zone or his nominee not below the rank of	
	Joint Commissioner	
6.	Director (Banking) in the Ministry of Finance, Banking Division,	Member ex officio;
	Government of India	
7.	Two officers, not below the rank of Joint Secretary, to be	Member ex officio;
	nominated by the State Government	
8.	Representative of the Developer of the zone	Special invitee

AND, THEREFORE, the Central Government, in exercise of the powers conferred by subsection (2) of section 53 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), hereby appoints the 20th day of June 2013 as the date from which the above Special Economic Zone shall be deemed to be Inland Container Depot under section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962).

[F. No. F.1/11/2011-SEZ] RAJEEV ARORA, Jt. Secy.